

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनार' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

क्रमांक/ 3864 / वि.यो./ इंदौर-उपांतरण/ नग्रानि/ 2024 भोपाल, दिनांक 06/09/2024
प्रति,


आयुक्त,
जन सम्पर्क संचालनालय,
म.प्र. भोपाल

विषय:- इंदौर नगर की विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरणों की सूचना के प्रकाशन
बावत्।

-0-

इंदौर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण का प्रकाशन, म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के अंतर्गत किया जा रहा है। तत्संबंधी सूचना (हिन्दी) की प्रति इस ज्ञापन के साथ संलग्न हैं। उक्त सूचना को इंदौर नगर क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो हिन्दी के समाचार पत्रों में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। उक्त सूचना को <https://dpradvt.mpinfo.org> पर भी अपलोड किया गया है।

संलग्न:- यथोपरि


(श्रीकांत बनोट)

वि.क.अ.सह-आयुक्त सह-संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक/ / वि.यो./ इंदौर-उपांतरण/ नग्रानि/ 2024 भोपाल, दिनांक /09/2024
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक संचालक (आई.टी.), नगर तथा ग्राम निवेश को जनसंपर्क विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

वि.क.अ.सह-आयुक्त सह-संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल म.प्र.-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक/ ³⁸⁶⁴ /वि.यो./ इंदौर-उपांतरण/नग्रानि/2024 भोपाल, दिनांक 06/09/2024

इंदौर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला इंदौर, म.प्र.
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, इंदौर, म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर, म.प्र.


प्रस्तावित उपांतरण का विवरण

2. इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय -3 की कंडिका क्रमांक 3.25.2 की सारणी -3.6 के सरल क्रमांक -39 के पश्चात सरल क्रमांक 40 निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है: -
3.25.2

सारणी -3.6

क्रमांक	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
40	टिगरिया बादशाह मेन रोड से कुशवाह नगर होते हुये उज्जैन नाका बाण गंगा तक	30

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।


(श्रीकांत बनोठ)

वि.क.अ. सह-आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश

६